

एफ संख्या 6/33/2023-डीजीटीआर  
भारत सरकार  
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय  
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)  
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग,  
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक: 28 अगस्त 2024

केस नंबर - एडी (ओआई) - 30/2023

तक

सभी इच्छुक पार्टियां,

**विषय - चीन पीआर, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया आरपी, ताइवान, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका से उत्पन्न या निर्यात किए गए पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के आयात से संबंधित एंटी-डंपिंग जांच।**

1. उपरोक्त उद्धृत जांच के लिए सभी इच्छुक पार्टियों के संदर्भ को आमंत्रित किया जाता है। प्राधिकरण ने 26 मार्च 2024 को अधिसूचना संख्या 6/33/2023-डीजीटीआर के माध्यम से उक्त एंटी-डंपिंग जांच शुरू की थी।
2. प्राधिकरण ने पीयूसी और पीसीएन पद्धति के दायरे को अंतिम रूप दिया और दिनांक 13 मई 2024 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया। तदनुसार, प्राधिकरण ने सभी इच्छुक पार्टियों से 28 मई 2024 तक प्रश्नावली के जवाब दाखिल करने का अनुरोध किया, और प्रतिक्रिया दर्ज करने का समय 4 जून 2024 तक और बाद में 10 जून 2024 तक बढ़ा दिया।
3. बड़ी संख्या में उत्पादकों और व्यापारियों को देखते हुए, जिन्होंने वर्तमान जांच में जवाब दिया है, प्राधिकरण ने एडी नियमों के नियम 17 (3) के अनुसरण में, जांच अवधि के दौरान चीन पीआर से भारत को निर्यात की मात्रा के सबसे बड़े प्रतिशत के आधार पर, व्यक्तिगत डंपिंग मार्जिन के निर्धारण के लिए अपने संबद्ध निर्यातकों के साथ निम्नलिखित तीन (3) उत्पादकों का चयन किया है, और डंपिंग मार्जिन के व्यक्तिगत निर्धारण के लिए जांच की जा सकने वाले उत्पादकों की संख्या पर विचार करते हुए-

१. टियांजिन Bohua रासायनिक विकास कं, लिमिटेड

2. चिपिंग Xinfra Polyvinyl क्लोराइड कं, लिमिटेड
3. झिंजियांग Shengxiong क्लोर-क्षार कं, लिमिटेड
4. प्राधिकरण चीन जनगण से नमूनाकृत उत्पादकों के डंपिंग माजन के आधार पर और नियमों के प्रावधानों के अनुसार चीन जनगण से गैर-नमूनाकृत सहयोग उत्पादकों/निर्यातकों के लिए डंपिंग माजन निर्धारित करेगा।
5. इच्छुक पार्टियां 30 अगस्त 2024 तक अपनी टिप्पणियां दे सकती हैं। पाटनरोधी जांचों की समयबद्ध प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण द्वारा समय बढ़ाने के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. इसे पदनामित प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

राजीव कुमार सोनी  
निदेशक (एफटी)  
ईमेल: [jd12-dgtr@gov.in](mailto:jd12-dgtr@gov.in)  
फोन: 011-23408728